छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : SM-PRO-2018-000211

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा **विरूद्ध** वैभव बिल्डकॉन, रायपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
10/12/2018.	– प्रकरण प्रस्तुत। – अनावेदक अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित। – प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक द्वारा रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एवं रेरा की वेबसाईट का पता दर्शाये बगैर सोशल मीडिया के माध्यम से सेजबहार व अभनपुर स्थित विभिन्न रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का विज्ञापन/क्रय हेतु ऑफर प्रसारित किया गया था। – इस संबंध में अनावेदक को आहूत कर स्वयं का पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक ने अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें अनावेदक ने प्रमुख रूप से कथन किया है कि उसके द्वारा किसी भी माध्यम से किसी भी रूप में उक्त प्रचार व प्रसार नहीं किया गया है। अनावेदक के अनुसार किसी ने दुर्भावनावश अनावेदक को परेशान करने के उद्देश्य से उक्त कार्य किया है। अनावेदक ने उसके द्वारा किसी भी रूप में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन न करने के कारण प्रकरण समाप्त करने का अनुरोध किया है। – प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रकरण में अनावेदक के विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि अनावेदक नगर पालिक निगम, रायपुर में ठेकेदारी का कार्य करता है। उसके द्वारा किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के विक्रय एवं विकास का कार्य नहीं किया जाता है और न ही उसके द्वारा कभी भी रियल एस्टेट	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण ★ रायपुर ★

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : SM-PRO-2018-000211

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा **विरूद्ध** वैभव बिल्डकॉन, रायपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	प्रोजेक्ट्स में कोई संव्यवहार किया जाता है। प्रकरण में अनावेदक अधिवक्ता के कथन के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण समाप्त किया जाता है तथा अनावेदक को यह आदेशित किया जाता है कि सोशल मीडिया पर उसके नाम से प्रसारित किए गए मिथ्या व भ्रामक विज्ञापन के विरूद्ध उसके द्वारा की गई कार्यवाही से इस प्राधिकरण को दिनाँक 31 दिसम्बर, 2018 तक अवगत कराना सुनिश्चित करे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेखागार भेजा जावे। (नरेन्द्र कुमार असवाल) सदस्य, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, रायपुर (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, रायपुर (विवेक ढाँड) अध्यक्ष, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, रायपुर	